पत्रांक:- 3461/ना०नि०   दिनांक:- 27/11/20

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर ।

बन्दोबस्ती आम सूचना–2021

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के निम्नलिखित सैरातों का वर्ष 2021 के दिनांक–01/01/2021 से 31/12/2021 तक के लिए खुली डाक द्वारा सैरातों के सामने अंकित (क) तिथि 17/12/2020 को समय–12.30 बजे अपराह्न में नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर सैरातों के सामने अंकित अनुवर्त्ती तिथि क्रमशः ख एवं ग को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पत्ति का विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	जमानत राशि	बन्दोबस्ती की तिथि एव समय
1	राजा बाजार सब्जी मार्केट (पक्का स्टॉल एवं पैसेज स्टॉल को छोड़कर) एवं कौड़ा मैदान स्थित गढ़ैया परती जमीन तथा बाजार	289100.50	115640	(क)दिनांक–17/12/2020 अपराह्न 12.30 बजे अनुवर्त्ती तिथि– (ख) दिनांक–18/12/2020 अपराह्न 12.30 बजे (ग)दिनांक–19/12/2020 अपराह्न 12.30 बजे
2	अस्पताल रोड शौचालय	91140	36456	
3	विश्वास बोर्ड द्वारा हस्तांतरित शौचालय के अन्तर्गत टैक्सी स्टैण्ड शौचालय का डाक	62663	25065	
4	बबुआ धाट स्थित शौचालय की डाक	6667	2667	
5	राजा–रानी तालाब स्थित शौचालय का डाक	6667	2667	
6	कष्टहरणी धाट स्थित शौचालय का डाक	6667	2667	

आवश्यक शर्तें:–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना अद्यतन आवासीय पता अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत या वोटर कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
2. डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि का 40 प्रतिशत जमानत की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा जो डाक समाप्ति के बाद असफल डाक वक्ताओं को जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी, तथा सफल डाक वक्ता की जमानत की राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
3. उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगी।
4. सक्षम पदाधिकारी जो डाक की स्वीकृति प्रदान करेगें उन्हें यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि अपरिहार्य कारणों से डाक को अस्वीकृत कर दें अथवा प्रश्नगत डाक से हटा लें।
5. बन्दोबस्ती स्थल/बाजार की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी डाकधारी की होगी।
6. सभी तरह के विवादों का निपटारा स्थानीय न्यायालय स्तर से ही मान्य होगा।
7. बंदोवस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का अनुपालन करना होगा एवं जी0एस0टी0, आयकर सहित अन्य सभी अद्यतन सरकारी कानूनों का भी अनुपालन करना होगा।
8. **इण्डियन स्टाम्प एक्ट सिडूल–1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा।** साथ ही स्वीकृत राशि का 02 प्रतिशत की राशि आयकर विभाग को स्वीकृत बन्दोबस्तदार को जमा करना अनिवार्य होगा।

27/11/20   27/11/20

नगर आयुक्त   महापौर
नगर निगम मुंगेर   नगर निगम मुंगेर